

पटवारी रिपोर्ट

प्रार्थी कालू पुत्र गोपाल द्वारा दर्ज राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीनगर से लोन लिया गया था, जिसका विलय राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा श्रीनगर में हो गया है। अतः उपरोक्त खाते में कालू पुत्र गोपाल के बैंक शाखा की दुरुस्त कर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा श्रीनगर किया जाना उचित है।

[Signature]
ब. न. 185

भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट

श्रीमानजी, रिपोर्ट पटवारी के अनुसार खाता नं. 115 में दुरुस्ती किया जाना उचित है।

महेशभाई
20/9/25
SR श्रीनगर

तहसीलदार की रिपोर्ट

प. ह. रिपोर्ट व भू-अ. नि. की जांच के आधार पर दुरुस्त की जाने की अभिशंका की जाती है।

2025
483

शिविर प्रभारी
प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025" तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद
दिनांक:- 26/9/25

क्रमांक / 185

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू-अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंघा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कदमपुरा तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2070-73 के खाता संख्या 115 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. स.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	कालू पुत्र गोपाल दि. 1/24 राष्ट्र बैंक राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीनगर शेख बंदर	क्रि. 22	6.51	कालू पुत्र गोपाल दि. 1/24 राष्ट्र बैंक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा श्रीनगर शेख बंदर	क्रि. 22	6.51

क्रमांक :- 5061-02

दिनांक :- 26/9/25

जति लिपि :- 1. तहसीलदार नसीराबाद को पालना प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, जिला अजमेर
2. आदेश पत्रावली

